न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 30/2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2017/00938

अपीलार्थी	बनाम	उतरदातागण
1.शम्भूराम पुत्र जगमालराम 2.अचलाराम पुत्र जगमालराम 3.विरदाराम पुत्र जगमालराम जाति गवारिया निवासी सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.भंवराराम पुत्र गुलाबाराम 2.भूराराम पुत्र गुलाबाराम 3.विशनाराम पुत्र गुलाबाराम 4.नारायणराम पुत्र गुलाबाराम 5.ओमाराम पुत्र गुलाबाराम जाति गवारिया निवासी सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.ग्राम पंचायत तिलवाड़ा जरिए सरपंच/सचिव

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1415 जो सरपंच ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 20.4.2008 को स्वीकृत किया गया।</u>

उपस्थिति :—

1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता उतरदाता संख्या 01 से 05

3. उतरदाता संख्या 06 एकपक्षीय।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 11.7.2024

1.संक्षिप्त में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि नवाराम की खातेदारी भूमि ग्राम तिलवाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 557/182 रकबा 20 [illegible] थी। नवाराम के दो पुत्र जगमालराम–जिनके वारिसान अपीलार्थी व गुलाबाराम [illegible] उतरदाता संख्या 01 से 05 हैं। विवादित आराजी पुश्तैनी होने के कारण नवाराम के दोनों [illegible] जगमालराम व गुलाबराम का बहिस्सा बराबर 1/2,1/2 हक हिस्सा निहित था तथा अपने [illegible] अनुसार मौके पर कब्जा–का[illegible] चला आ रहा हैं। नवाराम का देहान्त 05.01.1985 में हुआ था,अपीलार्थी के पिता जगमालराम का देहान्त 24.12.2007 को हुआ था। उतरदाता के पिता गुलाबाराम का देहान्त सन् 1999 में हुआ था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नवाराम के फौत के बाद तत्समय नामान्तकरण पारित नहीं हुआ था। उत्तरदाता संख्या 01 से 05 ने अपीलार्थी के साथ कुठारघात करते हुए नवाराम के वारिसान् अपने–आप को बताते हुए उत्तरदाता संख्या 06 के साथ मिली–भगत करते हुए एकतरफा आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1415/20.04.2008 को पारित किया गया,जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में है। अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण नहीं भरा गया। अतः अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते नए सिरे से नवा के वारिसान के नाम दायर करवाने हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उत्तरदाता को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डाबी द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 से 05 की ओर से वकालतनामा पेश कर अपीलार्थी की अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया। उत्तरदाता संख्या 06 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी के दादा नवाराम की खातेदारी भूमि ग्राम तिलवाडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 557/152 रकबा 20 बीघा भूमि अवस्थित थी। नवाराम के दो पुत्र जगमालराम–जिनके वारिसान अपीलार्थी व गुलाबाराम–जिसके वारिसान उत्तरदाता संख्या 01 से 05 हैं। विवादित आराजी पुश्तैनी होने के कारण नवाराम के दोनो पुत्र जगमालराम व गुलाबराम का बहिस्सा बराबर 1/2,1/2 हक हिस्सा निहित था। अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। नवाराम का देहान्त 05.01.1985 में हुआ था। अपीलार्थी के पिता जगमालराम का देहान्त 24.12.2007 को हुआ था। उत्तरदाता के पिता गुलाबाराम का देहान्त सन् 1999 में हुआ था। नवाराम के फौत के बाद तत्समय नामान्तकरण पारित नहीं हुआ था। उत्तरदाता संख्या 01 से 05 ने अपीलार्थी के साथ कुठारघात करते हुए नवाराम के वारिसान् अपने–आप को बताते हुए उत्तरदाता संख्या 06 के साथ मिली–भगत करते हुए एकतरफा आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1415/20.04.2008 को पारित किया गया,जो कि प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में है,क्योंकि आलोच्य नामान्तकरण अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना विधिक प्रकियाओं को अपनाए पारित किया गया हैं,जबकि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से पर कब्जा–काश्त होता आ रहा हैं। आलोच्य अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थी का राजस्व–रेकर्ड में नाम नहीं होने का उत्तरदाता नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर उतारू हैं। जबकि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के दादा नवाराम की पुश्तैनी खातेदारी में वक्त सेटलमेंट इन्द्राज होने पर अपीलार्थी का हक–हिस्सा प्राप्ति के अधिकारी हैं। अतः निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तकरण विधि–विरूद्ध पारित किए जाने के कारण आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1415/20.04.2008 निरस्त कर नवाराम के विधिक वारिसान् के नाम नए सिरे से पारित किए जाने का आदेश किया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस तथा अपील–पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:33:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

i. RRT2002(1)पृष्ठ 257
ii. RRT2001(2) पृष्ठ 989
iii. RRT2002(1) पृष्ठ 269
iv. 2016(1)RRT पृष्ठ 371
v. RRT2016(1) पृष्ठ 1049

4.उतरदाता संख्या 1 से 5 अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों के आधार पर लाए जाने के कारण निरस्त योग्य हैं,क्योंकि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्री में आलोच्य भूमि के संबंध में अपील संख्या 09/2012 पेश की थी,जिनका निर्णय दिनांक 08.07.2015 को राजस्व केम्प तिलवाड़ा में पारित हुआ था तथा अपीलार्थी द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 125/2011 अनवान् शंभू बनाम भंवरा वगैरा का पेश हैं,जो विचाराधीन चल रहा हैं। जिसका वाद हेतुक दिनांक 16.06.2012 को नकल प्राप्त होने पर उत्पन्न होना बताया तथा वर्तमान अपील ,अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.10.2017 को प्रथम बार ज्ञान होने की बात कह कर प्रस्तुत की है,उसके संबंध में न्यायालय श्री में एक दावा दिनांक 11.07.2011 को वाद हेतुक उत्पन्न होने का बताकर न्यायालय श्री में पेश किया। इस प्रकार एक ही विषय–वस्तु के संबंध में बार–बार उसी विवाद के संबंध में उसी न्यायालय के समक्ष अपील/वाद पेश करना विधि सम्मत नहीं हैं। जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि एक ही मुददे पर बार–बार प्रार्थना पत्र पेश करना न्याय प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं तथा गंभीर रूप सें न्याय प्रशासन को बाधित करता हैं तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 02 नियम 02 के भी विरूद्ध हैं तथा analogous Thereto के सिद्धान्त के खिलाफ होने से तथा मामले की विषय–वस्तु के संबंध में न्यायालय में अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थी की अपील का किसी प्रकार का औचित्य नहीं रह जाता हैं जैसा कि RRT 2014–15 एवं सपलीमेंट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जीतसिंह बनाम गोंविदसिंह वाद में निर्णित किया हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी की अपील का कोई औचित्य नहीं रहा हैं। अंन्तः में निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने एवं सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज की जावें। उतरदाता अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

i. RRT2014 & 15 (supp) जीतसिंह बनाम गोंविदसिंह पृष्ठ 476
ii. (RR) 1985 बाल–किशन बनाम रतनलाल वगैरा

5.हम प्रकरण को सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर निर्णीत करना आवश्यक समझतें है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तकरण संख्या 1415 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध पारित किया गया है,क्योंकि अपीलाधीन भूमि के तत्कालीन खातेदार नवा वल्द मोड़ा का देहान्त दिनांक 05.[illegible] होने के लगभग 23 वर्षो के बाद आलोच्य नामान्तकरण पारित किया [illegible] नामान्तकरण भरने से पूर्व उसके विधिक वारिसान की जांच की [illegible] की जानी चाहिए थी,लेकिन उतरदाता संख्या 06 द्वारा ऐसा नहीं किया गया,जो नियम से प[illegible]ाकर आदेश पारित किया गया है,ऐसे आदेश प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आतें है,इसके लिए मयाद का बिन्दू बनता ही नहीं है,क्योंकि जो प्रारम्भतःविधि विरूद्ध भरा गया नामान्तकरण मयाद की परिधि में आता ही नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:59 IST
Reason: Self Attested

की दशा में मयाद के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश में होने तथा उनके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से विवादित आराजी की नकल प्राप्त करने पर स्वंय का नाम भू अभिलेख में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत किए जाने के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना कानूनन उचित समझतें है। क्योंकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वंय साध्य के रूप में। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझतें है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1415 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण करने के लिए सर्वप्रथम पक्षकार की मुख्य अनुतोष का संक्षिप्त विवेचन किया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य बिन्दु उठाया कि मुतवफी नवाराम के अपीलार्थी के पिता जगमाल व उतरदाता के पिता गुलाबाराम वारिसान थे। नवाराम के फौत होने पर फोतदगी नामान्तकरण दो पुत्र जगमालराम व गुलाबाराम के भरने के बजाय अकेले उतरदाता संख्या 01 से 05 के पिता गुलाबाराम के नाम भरा गया,जो कि विधि–विरूद्ध होने के कारण आलोच्य नामान्तकरण निरस्त किया जाकर नवाराम के पुत्र जगमाल व गुलाबाराम के विधिक वारिसान् के नाम नए सिरे से पारित किया जावें। इसके विपरीत उतरदाता अधिवक्ता की आपति है कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित पूर्व में अपील पेश की थी,जिसका निस्तारण हो चुका हैं। आलोच्य भूमि के संबंध में न्यायालय श्री में नियमित वाद विचाराधीन होने के कारण आलोच्य अपील मयाद बाहर होने के कारण खारिज की जावें। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण करने के लिए आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1415/20.04.2008 का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 557/152 रकबा 20 बीघा भूमि नवा वल्द मोड़ा कौम गवारिया साकिन सिणली चौसिरा खातेदार के नाम इन्द्राज थी। खातेदार नवा वल्द मोड़ा फोत दिनांक 05.01.1985 को होने से मृत्यु प्रमाण पत्र एवं खातेदार की एक मात्र सतांन गुलाबाराम की भी मृत्यु दिनांक 10.01.1999 को होने से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा जारी वारिसान् प्रमाण–पत्र व शपथ –पत्र मय नोटरी जारी होने का उल्लेख करते हुए हल्का पटवारी तिलवाड़ा द्वारा आलोच्य नामान्तकरण भरा गया,जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक तिलवाड़ा द्वारा जांच कर अंकन सही की टिप्पणी गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2008 को स्वीकार किया गया। उक्त आलोच्य नामान्तकरण में अवलोकन करने मात्र से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य नामान्तकरण विधि विरूद्ध पारित किया गया है,क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण पारित से पूर्व विधिक प्रकियाओं की पालना किए बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते आलोच्य नामान्तकरण पारित किया हैं,जो कि अपने आप में आलोच्य नामान्तकरण प्रारम्भः से ही शून्य की श्रेणी में आता हैं। न्यायालय हाजा यह भी स्पष्ट करना उचित समझता है कि उतरदाता 01 से 05 जरिए अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:43:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा मौन स्वीकार किया हैं कि नवाराम के वारिसान् जगमाल व गुलाबाराम हैं तथा जगमाल के अपीलार्थी वारिस है,क्योंकि उतरदाता की ओर से वारिस नहीं होने का विरूद्ध नहीं किया गया। जब अपीलार्थी नवाराम के विधिक वारिस हैं,तो नवाराम की सम्पति में गुलाबाराम व जगमालराम का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा बनता हैं। इस प्रकार नवाराम के फौतदगी नामान्तकरण उसके वारिस जगमालराम व गुलाबाराम दोनो के नाम पारित किया जा चाहिए था,लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिक त्रुटि करते हुए केवलमात्र गुलाबाराम के वारिसान् के नाम भरा गया तथा अपीलार्थी को उसके हक हको सें महरूम रखा गया,जो कि कानूनी त्रुटी की गई हैं। ऐसी सूरत में अपीलार्थी के आलोच्य अपीलाधीन भूमि में हक–हकूक बनते हैं। जहां तक उतरदाता अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य अपीलाधीन भूमि के संबंध में नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए अपील चल नहीं सकती हैं। यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योंकि अपीलार्थी की ओर से केवलमात्र नवाराम के विधिक वारिसान् होने के बावजूद आलोच्य नामान्तकरण उतरदाता के नाम पारित होने के विस्द्ध ही आलोच्य नामान्तकरण को चुनौती दी गई हैं,न कि खातेदारी घोषणा के लिए अनुतोष चाहा गया हैं। जबकि उतरदाता ने अपीलार्थी को नवाराम के विधिक वारिसान् नहीं होनी की चुनौति नहीं दी गई हैं। ऐसी सूरत में हस्तगत अपील चलने योग्य हैं। अपीलार्थी न्याय के लिए विगत 07 वर्षो से संघर्ष कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व–रेकर्ड़ एवं दस्तावेजात से प्रमाणित हो चुका है कि आलोच्य नामान्तकरण विधि विरूद्ध पारित हुआ था। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पक्षकार को सही समय एवं सुलभ तरीके से न्याय प्राप्त होना चाहिए, न की जटिल प्रकियाओं को अपनाते हुए न्याय दिया जाना चाहिए। उतरदाता अधिवक्ता की से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT2014 & 15 (supp) जीतसिंह बनाम गोंविदसिंह पृष्ठ 476 एवं RR 1985 बाल–किशन बनाम रतनलाल वगैरा हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा नहीं होते हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT2002(1) पृष्ठ 257,2002(1) पृष्ठ 269, RRT 2016(1) पृष्ठ 371 में प्रतिपादित है कि नामान्तकरण पारित किए जाने से पूर्व उनके विधिक वारिसान् को बिना सूचित किए व सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नामान्तकरण शून्य हैं,ऐसा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं,ऐसे प्रकरणों में मयाद का प्रश्न आड़े नहीं आता है,जो कि हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा होता है,क्योंकि हस्तगत प्रकरण में भी आलोच्य नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को न ही सूचित किया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।

7.उपर्युक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आराजी के संबध में मुतवफी नवा के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण नए सिरे से पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा–5,परिसीमा अधिनियम–1963 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

महाजा अपीलार्थी की अपील अन्वर मयाव सुमार कर स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत तिलवाड़ा के नामान्तकरण संख्या 1416 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत तिलवाड़ा के आदेश दिनांक 20.4.2008 को अपास्त कर,प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि मुतवफी नवा वल्द गोड़ा कौम गवारिया सा.सिणली चौसिरा के विधिक वारिसान की जांच करते हुए अपीलार्थीन आराजी का नामान्तकरण नये सिरें से पारित करें।

(राजेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.7.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:59 IST
Reason: SelfAttested